

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 मई 2022—वैशाख 28, शक 1944

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2022

क्र. एफ-35-200-2019-दो-सी-एक्स.—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. एस.ओ. 1285 दिनांक 4 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है, अर्थात्:—

#### अनुसूची

क्रमांक (1)	स्थान (2)	पता (3)	प्रतिबंधित क्षेत्र की चतुर्सीमा (4)
01	मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, ग्राम मनेरी, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश.	मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, प्लॉट नं. 1, सेक्टर बी-1 (P&H), इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर मनेरी, तहसील निवास, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश-481885.	पूर्व—निजी भूमि. पश्चिम—30 मीटर चौड़ी रोड. उत्तर—निजी भूमि. दक्षिण—18 मीटर चौड़ी रोड.

No. F. 35-200-2019-II-C-X.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of clause (8) of Section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (XIX of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs's notification No. S.O. 1285 dated the 4th May, 1963, the State Government hereby, declares the places specified in the Schedule below to be prohibited places for the purposes of the said Act:—

## SCHEDULE

S. No.	Place	Location	Description of the Boundaries of the Prohibited Place
(1)	(2)	(3)	(4)
01	M/s Indian Oil Corporation Limited, LPG bottling plant, Maneri, Teh. Niwas, Dist. Mandla, Madhya Pradesh.	M/s Indian Oil Corporation Limited, LPG bottling plant, Plot No. 1, Sector B-1 (P&H), Industrial Growth Centre Maneri, Teh. Niwas, Dist. Mandla, Madhya Pradesh-481885.	<b>East</b> —Private Land. <b>West</b> —30 M Wide Road. <b>North</b> —Private Land. <b>South</b> —18 M Wide Road.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. एस. मीना, उपसचिव.